

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 93/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 रामलाल पिता धन्ना चमार उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा

----- (प्राथी)

बनाम

- 1 मुकेश पिता गोदू रेगर उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 2 रामदेव पिता भेरू चमार उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 3 छोदूसिंह पिता देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 4 शक्ति सिंह पिता भंवर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 5 माधू पिता दशरथ ढोली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 6 प्रकाश चन्द पिता प्रभुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 7 धन्ना पिता भूरा चमार उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 8 रामपाल पिता भीमडा चमार उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 9 श्याम पिता छोदूलाल चमार उम्र वयस्क निवासी अरनिया चौहान तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 10 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्राथी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.05.2023

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 08.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अरनिया चौहान पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 142 के आ.न. 444, 445, 473, 475, 476, 477, 481, 778/474 किता 8 रकबा 1.59 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्राथी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्राथीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्राथी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्राथी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरनिया चौहान पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 142 के आ.न. 444, 445, 473, 475, 476, 477, 481, 778/474 किता 8 रकबा 1.59 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकंला, जिला-भीलवाड़ा